न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : – डिक्री 251 सन् 2007
पंजीयन दिनांक :– 17.09.2007

1. जगदीश पिता हेमनारायण जाति ब्राह्मण निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ
2. सुशीला देवी पत्नी जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ

–अपीलांट्गण

विरुद्ध

1. पुरुषोतम लाल पिता हेमनारायण जाति ब्राह्मण निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ
2. लक्ष्मीलाल पिता हेमराज जाति ब्राह्मण – मृतक के बजाय
   2/1 गोपाल पिता लक्ष्मीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ओड़वाड़िया तहसील मावली जिला उदयपुर
   2/2 प्रभुलाल पिता लक्ष्मीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ओड़वाड़िया तहसील मावली जिला उदयपुर
   2/3 अनिल पिता लक्ष्मीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ओड़वाड़िया तहसील मावली जिला उदयपुर
   2/4 कैलाश पिता लक्ष्मीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ओड़वाड़िया तहसील मावली जिला उदयपुर
   2/5 गीता पुत्री लक्ष्मीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ओड़वाड़िया तहसील मावली जिला उदयपुर
3. नर्बदा पिता हेमनारायण जाति ब्राह्मण निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ
4. बसन्ती पिता हेमनारायण पत्नी विट्ठलदत्त जाति ब्राह्मण निवासी मुरलिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ
5. तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ
6. पटवार हल्का कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ

रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरुद्ध प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन
प्रकरण संख्या 214/2001 वाद प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2007

उपस्थित :– 1. छोगालाल जाट– अधिवक्ता अपीलान्ट्गण
2. कृष्णचन्द तुल्छिया– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2/2 व 2/5
3. रेस्पोडेन्ट सं. 2/1, 2/3, 2/4, 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 5 व 6

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज.)

निर्णय **दिनांकः- 30.01.2023**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपीलान्ट्गण व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 6 के विरुद्ध वादपत्र इश्तकरार हक, विभाजन कृषि आराजीयात व हुक्म ईम्तनाई दवामी, मौजा कपासन तहसील कपासन की आराजी नम्बर 4130 रकबा 0.17 है0, आराजी नम्बर 4132 रकबा 0.12 है, आराजी नम्बर 4135 रकबा 0.01 है0 तथा आराजी नम्बर 4134 रकबा 0.39 है0 के सम्बन्ध में अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं.1 वादी का विवादित कृषि आराजीयात में 1/5 हक व हिस्सा निहित है, उसी अनुसार अपीलान्ट सं. 1 प्रतिवादी सं. 2 का 1/5 एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/5-1/5 हक व हिस्सा निहित है, जो संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज होकर मौके पर सभी सहखातेदारों के संयुक्त कब्जे काश्त में होने से लगान जमा कराने एवं फसल बुवाई में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

इसी प्रकार ग्राम कपासन के ख.न. 4132 रकबा 0.12 है0 कृषि भूमि वादी के पिता हेमनारायण ने वादी की वेतन की आय से श्री शंकर तुल्छिया से दिनांक 03.07.1978 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया, रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के पिता हेमनारायण कर्ता खान दान होने से रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने रिवाजन बिकावनामा उनके नाम लिखवाया जिससे उनके नाम रेवेन्यु रेकार्ड में अंकित हुई। जब यह कृषि आराजी खरीदी तब अपीलान्ट सं. 1 प्रतिवादी नम्बर 2 नाबालिग था उस वक्त अपीलान्ट सं. 1 कोई कमाई नही करता था। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के पिता बीमार हो गये थे, रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की माता का देहावसान हो गया था, रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के पिता हेमनारायण की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी । अपीलान्ट्गण प्रतिवादी सं. 2 व 5 पति पत्नी ने वादी के पिता हेमनारायण के बीमार होने पर बहला-फुसलाकर ख.न. 4132 का वसियतनामा अपीलांट सं. 2 प्रतिवादी सं. 5 के पक्ष में चुपके से दिनांक 12.08.1996 को करवा लिया, जिसे प्रभावहीन घोषित किया जाकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी व अपीलान्ट सं. 1, रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 प्रतिवादीगण के मध्य उपर्युक्त कृषि आराजीयात का विभाजन करवाया जावें। वादी के हक हिस्से में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करे, इस बाबत स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावें।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र प्रकरण सं. 214/2001 दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट्गण प्रतिवादी सं. 2 व 5 तथा रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादी सं. 1, 3, 4, 6 व 7 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जवाबदावा प्राप्त कर पत्रावली वास्ते साक्ष्य निर्धारित की गई।

अपीलान्ट्गण ने भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में इश्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कपासन की आराजी नम्बर 4130, 4131, 4132 व 4134 हेमनारायण की खरीदशुदा है। अपीलान्ट सं.1 वादी सं. 2 के पिता व अपीलान्ट सं. 2 वादी सं. 1 के ससुर श्री हेमनारायण द्वारा स्वअर्जित उपर्युक्त कृषि आराजीयात में से आराजी नम्बर 4132 रकबा 0.12 है0 कृषि भूमि का वसीयतनामा अपीलान्ट सं. 2 वादी सं. 1 के पक्ष में दिनांक 12.08.1996 को निष्पादित व पंजीकृत करा दिया, हेमनारायण की मृत्यु के बाद वसीयत ग्रहिता ही एकमात्र खातेदार घोषित होने की अधिकारिणी है। इसी प्रकार हेमनारायण ने दिनांक 21.07.1986 को अपनी कृषि आराजीयात व अन्य चल-अचल सम्पति का वसीयतनामा अपीलान्ट वादी सं. 2 व रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में लिखकर पंजीकृत करवा दिया, किन्तु अपने जीवनकाल में ही ख.न. 4132 अपीलान्ट वादीया सं. 1 के पक्ष में अन्तिम वसीयत दिनांक 12.08.1996 को कर दी, जिस पर हेमनारायण की मृत्यु के बाद अपीलान्ट वादीया सं. 1 काबिज है। शेष कृषि आराजीयात में से ख.न. 4131 पर अपीलान्ट वादी नम्बर 2 अकेला काबिज है, आराजी नम्बर 4130 पर रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 अकेला काबिज है, आराजी नम्बर 4134 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

पूर्वी ओर 1/2 हिस्से पर अपीलान्ट वादी सं. 2 तथा 1/2 हिस्से पर पश्चिमी ओर रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 काबिज है। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 2 से 4 तक का उक्त कृषि आराजीयात या उसके किसी भाग पर कोई कब्जा नहीं है। खसरा नम्बर 4132 अपीलान्ट वादीया सं. 1 की खातेदारी की घोषित की जावे तथा राजस्व रेकार्ड में उसी के नाम अंकित की जावे। खसरा नम्बर 4130, 4131, 4134 अपीलान्ट वादी नम्बर 2 तथा रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त खातेदारी की घोषित करा राजस्व रेकार्ड से रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 2 से 4 के नाम हटाये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावे।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्गण वादीगण का वादपत्र प्रकरण सं. 44/2002 दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकार एवं वादग्रस्त आराजी समान होने से अपीलान्ट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र प्रकरण सं. 44/2002 को न्यायालय में पूर्व से विचाराधीन प्रकरण सं. 214/2001 की पत्रावली के साक्ष्य में नीयत रहते हुये समेकित किया गया, एक ही निर्णय से दोनो पत्रावलियों को निर्णित करते हुये अपीलान्ट्गण वादीगण का वादपत्र प्रकरण सं. 44/2002 प्रमाणित नही होना मानते हुए अपीलान्ट्गण वादीगण का वादपत्र निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट सं 1 वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र प्रकरण सं. 214/2001 आंशिक रूप से स्वीकार कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये, जिससे असंतुष्ट होकर अपीलान्ट्गण प्रतिवादी सं. 2 व 5 ने इस न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की।

इस न्यायालय में अपीलान्ट्गण प्रतिवादी सं. 2 व 5 के द्वारा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण सं. 214/2001 में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री की प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण वादी व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया, जिस पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 2/1, 2/3, 2/4, 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 5 व 6 की ओर राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुये। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम नीयत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट्गण प्रतिवादी सं. 2 व 5 ने अपनी बहस में अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपीलान्ट्गण व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 6 प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादपत्र ईश्तकरार हक विभाजन कृषि आराजीयात व हुक्म ईम्तनाई दवामी मौजा कपासन की आराजी नम्बर 4130, 4132, 4135 तथा 4134 के सम्बन्ध में अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट सं.1 वादी का विवादित कृषि आराजीयात में 1/5 हक व हिस्सा निहित है, अपीलान्ट सं. 1 प्रतिवादी सं. 2 का 1/5 एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/5-1/5 हक व हिस्सा निहित है, जो संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है। गांव कपासन के ख.न. 4132 रकबा 0.12 है0 कृषि भूमि वादी के पिता हेमनारायण ने वादी के वेतन की आय से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया, वादी के पिता हेमनारायण कर्ता खान दान होने से वादी ने रिवाजन बिकावनामा उनके नाम लिखवाया जिस पर वर्तमान में रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का ही कब्जा काश्त है। ख.न. 4132 का वसियतनामा अपीलांट सं. 2 प्रतिवादी सं. 5 के पक्ष में चुपके से दिनांक 12.08.1996 को करवा लिया, जिसे प्रभावहीन घोषित किया जाकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी व अपीलान्ट सं. 1, प्रतिवादी नम्बर 2 व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 प्रतिवादीगण के मध्य उपर्युक्त कृषि आराजीयात का विभाजन करवाया जावें।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में अपीलान्ट्गण प्रतिवादी सं. 2 व 5 ने अस्वीकारोक्ति का जवाबदावा तथा वादपत्र प्रकरण सं. 44/2002 प्रस्तुत किया जिसके पक्षकार एवं वादग्रस्त आराजीयात समान होने से रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी द्वारा प्रस्तुत पूर्व से ही विचाराधीन वाद प्रकरण सं. 214/2001 मे संयोजित किया जाकर एक ही निर्णय से निर्णित किया गया। अपने निर्णय में अपीलान्ट्गण प्रतिवादी सं. 2 व 5 प्रतिवादीगण के जवाबदावे तथा प्रस्तुत वादपत्र प्रकरण सं. 44/2002 के तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुये अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

व डिक्री पारित किये हैं। अपीलान्ट सं. 1 प्रतिवादी के पिता हेमनारायण द्वारा स्वअर्जित कृषि आराजीयात मय अन्य चल-अचल संपत्ति के पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 21.07.1986 प्रदर्श सं. 4 जो अपीलान्ट सं. 1 प्रतिवादी सं. 2 तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के पक्ष में निष्पादित करवाया गया था एवं ख.न. 4132 अपीलान्ट सं. 2 प्रतिवादी सं. 5 के ससुर हेमनारायण द्वारा स्वअर्जित कृषि आराजी का पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 12.08.1996 प्रदर्श सं. 3 जो अपीलान्ट सं. 2 प्रतिवादी सं. 5 के पक्ष में निष्पादित करवाया गया जो उनके जीवन काल की अन्तिम वसीयत है। अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 2 व 5 द्वारा प्रस्तुत वादपत्र प्रकरण सं. 44/2002 रेकार्ड एवं साक्ष्यों से सिद्ध था फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादपत्र को प्रमाणित नही होना मानते हुये निरस्त कर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र प्रकरण सं. 214/2001 आंशिक विभाजन का स्वीकार करते हुये प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर दिये। आराजी नम्बर 4134, 4135 स्वर्गीय हेमराज पिता रामलाल बाह्मण जो स्वर्गीय हेमनारायण जी के मामाससुर थे से मिली होकर स्वअर्जित है। ख.न. 4130 व 4131 के साबिक ख.न. 5261 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा श्रीमती भूरी पत्नी किशोर जोशी से खरीदी जिसका पंजीकृत विक्रय पत्र पत्रावली पर प्रदर्श 2 है। ख.न. 4132 साबिक ख.न. 5262/1 रकबा 9 बिस्वा श्री चन्द्रशेखर पिता रामचन्द्र तुल्ल्या से क्रय की जिसका पंजीकृत विक्रय पत्र पत्रावली पर प्रदर्श 1 है। अन्त में अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं. 214/2001 में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2007 निरस्त कर प्रकरण सं. 44/2002 स्वीकार कर हेमनारायण के द्वारा किये गये दोनो वसीयतनामे के अनुसार वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपनी बहस में निवदेन किया कि विवादित सम्पूर्ण कृषि आराजीयात स्वर्गीय हेमनारायण के खातेदारी की रही है अपीलान्ट सं. 1 प्रतिवादी सं. 2, रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी व प्रतिवादी सं. 1, 3, 4 स्वर्गीय हेमनारायण पिता रूपलाल के उत्तराधिकारी है। हेमनारायण के स्वर्गवास के पश्चात विवादित कृषि आराजीयात अपीलान्ट सं. 1 प्रतिवादी सं. 2, रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी व रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1, 3 व 4 स्वर्गीय हेमनारायण के उत्तराधिकारी होने से जरिये विरासती नामान्तकरण राजस्व रेकार्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड की गई है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी, अपीलान्ट सं. 1 व रेस्पोडेन्ट सं 2 से 4 विवादित कृषि आराजीयात के सहखातेदार होने से सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के बटवाड़े का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 2 व 5 ने पृथक से वादपत्र प्रकरण सं. 44/2002 प्रस्तुत किया जबकि व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 8 नियम 6 ए में काउन्टर क्लेम का प्रावधान है जिसका उपयोग नही किया गया। अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 2 व 5 ने प्रस्तुत वादपत्र तथा प्रकरण सं. 214/2001 के जवाबदावें में वर्णित वसीयतनामों को तथा अपने अभिवचनो को प्रमाणित नही करवाया तथा कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण सं. 214/2001 को साक्ष्य व सबूतों के आधार पर प्रमाणित होना मानते हुये प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री विधिसम्मत होकर अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 2 व 5 की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 5 व 6 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा सहखातेदारी में दर्ज कृषि आराजीयात के बटवाड़े के प्राथमिक निर्णय व डिक्री विधिसम्मत पारित होना बताते हुए तथा अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 2 व 5 की ओर से प्रस्तुत अपील को सारहीन होना बताते हुए अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 2 व 5 की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया, अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया, अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने सहखातेदारी में दर्ज कृषि आराजीयात जो अपीलान्ट सं. 1, रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 हेमनारायण ब्राह्मण के उत्तराधिकारियों के नाम सहखातेदारी में प्रदर्श 6 अनुसार विरासती नामान्तकरण सं. 692 से दर्ज हुई है, के बटवाड़े का वादपत्र प्रस्तुत किया। अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 2 व 5 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हुआ व पृथक से वादपत्र प्रकरण सं. 44/2002 प्रस्तुत किया गया जिसमें विवादित कृषि आराजीयात को स्वर्गीय हेमनारायण की स्वअर्जित होना बताते हुए स्वर्गीय हेमनारायण के द्वारा किये गये पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 21.07.1986 प्रदर्श सं. 4 व पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 12.08.1996 प्रदर्श सं. 3 के अनुसार विवादित कृषि आराजीयात की खातेदारी घोषणा का निवेदन किया। स्वअर्जित सम्पत्ति की पुष्टि हेतु पंजीकृत विक्रय पत्रों की प्रतियां प्रस्तुत की जो पत्रावली पर प्रदर्शित होकर प्रदर्श सं. 2 व प्रदर्श सं. 1 है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण सं. 44/2002 को पूर्व से विचाराधीन प्रकरण सं. 214/2001 के संयोजित किया जाकर तनकी सं. 3 के विवेचन अनुसार निर्णित करते हुये अपीलान्ट्गण द्वारा प्रस्तुत वाद प्रकरण सं. 44/2002 साबित नही होना मानते हुये निरस्त कर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र सं. 214/2001 आंशिक बाबत कराये जाने आराजीयात विभाजन का स्वीकार कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये है जो विधिसम्मत नही है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन के प्रकरण संख्या 214/2001 रेवेन्यू वाद मे पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2007 निरस्त किये जाकर पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पत्रावली पर लेकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए तनकीवार अजसरे नव निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान सुनवाई हेतु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 09.03.2023 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)